

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्व का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्व की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।



RNI NO - CHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 26 अगस्त 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 326

महत्वपूर्ण एवं खास

अब सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे अफगान नागरिक

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फैसला किया है कि अब अफगानिस्तान के नागरिक सिर्फ ई-वीजा पर ही भारत आ सकेंगे। केंद्र सरकार का कहना है कि यह फैसला अफगानिस्तान में लगातार बदल रही सुरक्षा स्थिति के मद्देनजर लिया जा रहा है। बता दें कि सरकार ने पिछले हफ्ते ही अफगान नागरिकों के लिए खासतौर पर ई-इमरजेंसी वीजा जारी करने का ऐलान किया था। अब इस वीजा को मौजूदा आवेदन प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस फैसले के साथ ही अफगान नागरिकों को पहले जारी किए गए सभी वीजा अब अवैध हो गए हैं। हालांकि, यह व्यवस्था सिर्फ देश के बाहर मौजूद नागरिकों के लिए है। यानी पहले अफगान नागरिकों को जारी किए गए स्टूडेंट वीजा, टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा, आदि अब अवैध हो गए हैं। बता दें कि अफगानिस्तान के काबुल में तालिबान के कब्जे के दो दिन बाद ही भारत ने इस ई-इमरजेंसी वीजा का ऐलान किया था। अधिकारियों ने बताया था कि अफगानिस्तान में भारत के मिशन के बंद होने के कारण वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और नई दिल्ली में अर्जियों की जांच की जाएगी। शुरुआत में ये वीजा छह महीने की अवधि के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अर्जियों पर कार्रवाई करते और अफगान नागरिकों को वीजा देते हुए सुरक्षा मुद्दों पर गौर किया जाएगा। इस वीजा के लिए सभी धर्मों के अफगान नागरिक आवेदन दे सकते हैं।

उच्च न्यायालय अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ याचिका पर दो हफ्तों में दे निर्णय: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस आयुक्त के तौर पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर वह दो सप्ताह के भीतर निर्णय करे। भारतीय पुलिस सेवा के 1984 बैच के अधिकारी अस्थाना को गुजरात काडर से यूनियन काडर में लाया गया था। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक रह चुके अस्थाना को 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने से चार दिन पहले, 27 जुलाई को दिल्ली का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया। उनका राष्ट्रीय राजधानी के पुलिस प्रमुख के तौर पर कार्यकाल एक साल का होगा। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति सुर्यकांत की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन' (सीपीआईएल) को अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ लंबित याचिका में हस्तक्षेप के लिए उच्च न्यायालय जाने की अनुमति दी। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उच्च न्यायालय को थोड़ा और समय दिया जाए क्योंकि सरकार को वहां लंबित याचिका पर अपना जवाब देना है।

176 करोड़ की आईटीसी धोखाधड़ी में दो और लोग गिरफ्तार

नई दिल्ली (आरएनएस)। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक्सिस महानिदेशालय की गुरुग्राम क्षेत्रीय इकाई, हरियाणा ने 176 करोड़ रुपये के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट धोखाधड़ी मामले का भंडाफोड़ किया है जिसमें इन बिलों को संजय गोयल मालिक मेसर्स रेडामेसी वर्ल्ड और दीपक शर्मा ने पेश किया था। दीपक शर्मा ऐसी आठ कंपनियों के वास्तव में निर्यंत्रक हैं जो अस्तित्व में ही नहीं थी। इस मामले में क्षेत्रीय इकाई ने संजय गोयल और दीपक शर्मा को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की जांच के दौरान दो और प्रमुख व्यक्तियों मनीष मोदी और गौरव अग्रवाल का नाम भी उभर कर सामने आया है। इस मामले की विस्तृत जानकारी के आधार पर क्षेत्रीय इकाई ने मनीष मोदी, चार्टर्ड अकाउंटेंट निवासी पीतमपुरा, नई दिल्ली को फर्जी फर्म रैकेट चलाने तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट बिल मामले में गिरफ्तार किया गया है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की वास्तव में आपूर्ति ही नहीं हुई थी। यह भी पाया गया है कि मनीष मोदी फर्जी फर्मों मेसर्स निवारण एंटरप्राइजेज और मेसर्स पंचवटी एंटरप्राइजेज का प्रबंधन/नियंत्रण कर रहे थे और इनके आधार पर मनीष ने 36 करोड़ रुपये के फर्जी आईटीसी बिल पेश किए।

देश में एक ही दिन में बड़े 12 हजार से ज्यादा मामले

पिछले 24 घंटे में 37,593 नए मरीज, 648 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमण लगातार गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। एक दिन बाद ही 12 हजार से ज्यादा नए मामलों में बढ़ोतरी ने फिर से चिंता बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 37,593 नए मामले आए, तो वहीं संक्रमण से हुई मौतों का आंकड़ा भी बढ़कर 648 तक दर्ज किया गया।



केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बुधवार को कोरोना के मामले में मंगलवार के मुकाबले 12 हजार से अधिक की वृद्धि आम लोगों के साथ ही सरकार के लिए भी किसी चिंता से कम नहीं है। पिछले एक दिन में जहां नए मामलों और इस संक्रमण से मौतों को आंकड़ा बढ़ा है, वहीं इस दौरान कोरोना के 34,169 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। अब मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.67 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में कुल 34,761, दिल्ली के 25,079, उत्तर प्रदेश के 22,794, केरल के 19,757 और पश्चिम बंगाल के 18,383 लोग थे।

केरल में सर्वाधिक मामले मंत्रालय के अनुसार केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 24,296 नए मामले सामने आए हैं। जिससे राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 38,51,984 हो गई। जबकि 173 और मरीजों की मौत होने से मृतकों की तादाद 19,757 पर पहुंच गई। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले कुल मामलों के 0.99 फीसदी हैं। वहीं दैनिक पाँजटिविटी रेट 2.10 फीसदी है, दैनिक पाँजटिविटी रेट पिछले 30 दिनों से 3 फीसदी से कम

रेलवे परियोजना में जल्द दूर हो सकती है अड़चनें

सुप्रीम कोर्ट ने झुगियों को गिराने पर यथास्थिति आदेश एक सितंबर तक बढ़ाया

नई दिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में एक रेल लाइन परियोजना के लिए करीब 5,000 झुगियों को हटाए जाने पर यथास्थिति बनाए रखने का अधिकारियों को निर्देश देने संबंधी अंतरिम आदेश बुधवार को एक सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया। प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को 25 अगस्त तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। इससे पहले यह मामला तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला बुधवार को न्यायमूर्ति

ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति संजोव खन्ना की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ से कहा कि वह प्राधिकरण से निर्देश लेने की प्रक्रिया में हैं और मामले की दो दिन बाद सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बीच मामले में पारित अंतरिम आदेश कायम रह सकता है। मामले में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह भी यही अनुरोध कर रहे हैं। पीठ ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के अनुरोध के अनुसार, मामले को एक सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम आदेश जारी रहेगा। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने कल प्रधान न्यायाधीश के समक्ष इस मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया था।

जल्द बढ़ेगी भारत की सैन्य ताकत

इसी साल मिल सकता है रूस का एस-400 मिसाइल रक्षा सिस्टम

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत को साल 2023 तक रूस में निर्मित क्रिवाक श्रेणी का पहला जंगी जहाज मिल जाएगा। यूनाइटेड शिपबिल्डिंग कॉर्पोरेशन (यूसपीसी) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी खमानोव ने यह धरोसा दिलाया। इसके अलावा भारत को इस साल के आखिर तक रूसी मिसाइल रक्षा सिस्टम एस-400 भी मिलने की उम्मीद है।



मॉस्को में आयोजित 'आर्मी-2021' को संबोधित करते हुए खमानोव ने कहा, 'कोरोना संकट के चलते क्रिवाक श्रेणी के जहाज के निर्माण में कुछ अड़चनें आईं। यह प्रोजेक्ट लगभग आठ महीने पीछे चल रहा है। भारत को 2023 के मध्य तक दो में से एक जहाज सौंप दिया जाएगा। रूसी अधिकारी

ने बताया कि यानतार बंदरगाह पर जहाज के निर्माण में योगदान देने के लिए भारतीय तकनीशियनों को भी आमंत्रित किया जाएगा। इससे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में क्रिवाक श्रेणी के दो जंगी जहाज के निर्माण की भागी योजना को साकार करने में मदद मिलेगी। खमानोव ने कहा कि हम चाहते हैं कि भारतीय तकनीशियन जहाज बनते देखें, ताकि वे इसकी तकनीक एवं प्रौद्योगिकी से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। इससे दूसरे चरण के तहत गोवा शिपयार्ड में जहाज का निर्माण आसान हो जाएगा। भारतीय तकनीशियन न सिर्फ कलपुर्जे जोड़ने, बल्कि प्रौद्योगिकी को अंतिम रूप देने में भी सक्षम बन पाएंगे।

केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को दी सौगात

एफआरपी को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों के हक में बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है।



केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आज कैबिनेट बैठक में गन्ने पर दिए जाने वाले फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस (एफआरपी) को बढ़ाकर 290 रुपये प्रति क्विंटल करने का फैसला हुआ है, ये 10 फीसदी रिकवरी पर आधारित होगा। उन्होंने कहा कि अगर किसी किसान की रिकवरी 9.5 फीसदी से कम होती है तो उन्हें 275.50 रुपये प्रति क्विंटल मिलेंगे। गौरतलब है इससे

पहले गन्ने का एफआरपी 285 रुपये प्रति क्विंटल था यानी कि इसका पांच रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। सरकार हर साल गन्ना पैराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है।

मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 2020-21 में गन्ना किसानों को 91,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना था जिसमें 86,000 करोड़ का भुगतान हो गया है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के कारण अब गन्ना किसानों को पहले की तरह सालों-साल क्विंटल था यानी कि इसका पांच रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। सरकार हर साल गन्ना पैराई सत्र शुरू होने से पहले केंद्र सरकार एफआरपी की घोषणा करती है। मिलों को यह न्यूनतम मूल्य गन्ना उत्पादकों को देना होता है।

खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी पर खरीदी से लगभग 129.03 लाख किसान हुए लाभान्वित

नई दिल्ली (आरएनएस)।

धान की खरीद खरीफ विपणन सत्र 2019-20 में पिछले उच्च स्तर 773.45 लाख मीट्रिक टन को पार करते हुए अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। लगभग 129.03 लाख किसान मौजूदा खरीफ विपणन सत्र में एमएसपी मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 1,64,951.77 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

वर्तमान खरीफ 2020-21 में धान की खरीद इसकी बिक्री वाले राज्यों में सुचारू रूप से जारी है। 23 अगस्त तक 873.68 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान का क्रय किया जा चुका है (इसमें खरीफ फसल का 707.69

लाख मीट्रिक टन और रबी फसल का 165.99 लाख मीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समान अवधि में 763.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया था।

गेहूं की खरीद का कार्य वर्तमान रबी विपणन सत्र 2021-22 के लिए इसकी खरीद वाले राज्यों में पूरा हो चुका है। अब तक 433.44 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई थी (जो कि अब तक की खरीद का सबसे उच्चतम स्तर है, क्योंकि इसने 49.20 लाख किसान एआरएमएस 2020-21 के पिछले

उच्च स्तर 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद के आंकड़े को पार कर लिया है), जबकि पिछले साल की इसी समान अवधि में 389.93 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया था।

मूल्यों पर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 85603.57 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार पर तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबी विपणन सत्र 2021 तथा ग्रीष्म सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 109.58 लाख मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई।